संख्या -44/420/84-2-2013-सीपी 2/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 अक्टूबर, 2013

विषय श्री राजवीर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, आगरा प्रथम का यात्रा बिल कालबाधित हो जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सीपी 26/84-2-2012-सीपी 2/2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में वांछित सूचना पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अभी तक शासन को अप्राप्त है। अत: अनुरोध है कि प्रकरण में वांछित सूचनाओं सहित आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in